अंक 31 । संख्या 06 । जून 2024

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

मुख्य खबर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत उभरते मानव अधिकार मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए जिनेवा में वैश्विक बिरादरी में शामिल हुआ।

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

अंक 31 । संख्या 06 । जून 2024

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष:
न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा

सदस्य:
श्री राजीव जैन
श्रीमती विजया भारती सयानी

महासचिव:
श्री भरत लाल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के ह्यूमन राइट्स समाचार में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुन: प्रकाशित कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर
टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332
ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,
सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: jrlawnhrc@nic.in (शिकायतों के लिए),
cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:
इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)
मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334
ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी
विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयला क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित
मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023
हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in
www.nhrc.nic.in
@India_NHRC

RNI No. 61957/95

विषय वस्तु

मासिक विवरण
03 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

मुख्य खबर
05 एनएचआरसी, भारत उभरते मानव अधिकार मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए जिनेवा में वैश्विक बिरादरी में शामिल हुआ

लेख
08 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरे तीन वर्ष

लेख
11 भारतीय चुनाव: मानव अधिकार का सबसे बड़ा प्रयोग

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप
13 16 लड़कियों का यौन शोषण करने के संबंध में नासिक शेल्टर होम के निदेशक के खिलाफ कार्रवाई

13 आवारा कुत्तों के हमले के कारण एक व्यक्ति की मौत के मामले में हुई लापरवाही का खुलासा

14 • स्वत:संज्ञान
14 • राहत के लिए संस्तुतियां
17 • पीड़ितों को राहत का भुगतान
19 • केस स्टडी
19 • घटनास्थल पर पूछताछ

क्षेत्रीय दौरा
20 विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटरों द्वारा किये गये दौरे

प्रशिक्षण - मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के माध्यम से संबंध निर्माण करना
20 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप का समापन

पुरस्कार योजना
22 एनएचआरसी लघु फिल्म प्रतियोगिता, 2024

23 एनएचआरसी की हिंदी वार्षिक पत्रिका - नई दिशाएँ के लिए लेख, कविताएँ, कहानियाँ

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनएचआरसी
24 न्यूयॉर्क में वृद्धावस्था पर 14वां ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप

25 श्रीलंका के उच्चायुक्त का भारत दौरा

27 संक्षेप में समाचार

27 आगामी कार्यक्रम

27 मई, 2024 में शिकायत प्रबंधन

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

> “समृद्ध प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा मानव अधिकारों को संवर्धित करने वाली है, यही कारण है कि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देश, भारत की सराहना करते हैं।”

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के लिए मई माह अत्यधिक व्यस्त एवं गतिविधियों से भरा रहा। इस माह के दौरान आयोग द्वारा अनेक सुनवाई बैठक की गयी साथ ही, मानव अधिकार उल्लंघन के बहुत से मामलों को उठाया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन शिकायतकर्ताओं को राहत मिली जिनके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। आयोग कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल हुआ, जहाँ सभी के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में एनएचआरसी द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर), पेरिस सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) और अफ्रीका, अमेरिका, एशिया-प्रशांत और यूरोप को कवर करने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के चार क्षेत्रीय समूहों सहित वैश्विक स्तर पर लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कई तरह के तंत्र मौजूद हैं। ये समूह मिलकर 120 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (गनहरी) का गठन करते हैं जिसका मुख्यालय जिनेवा के पैलेस डेस नेशंस में है। गनहरी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के साथ मिलकर काम करता है, तथा पारस्परिक समझ के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है तथा मानव अधिकार अभियान को मजबूत बनाता है।

5 मई 2024 को, एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और मैं शामिल था, ने जिनेवा में दक्षिण कोरिया, मंगोलिया और जॉर्डन के साथ एशिया पैसिफिक फोरम (एपीएफ) गवर्नेंस कमेटी की बैठक में भाग लिया। भारत ने एनएचआरआई के एपीएफ के संस्थापक सदस्य के रूप में इस महत्वपूर्ण आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सार्थक योगदान दिया। 6 मई 2024 को, हमने 16 देशों के एनएचआरआई के साथ गनहरी ब्यूरो की बैठक में भाग लिया, उसके बाद 7 मई को गनहरी महासभा की बैठक और एनएचआरआई के विशिष्ट योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। 8 मई, 2024 को, हमने व्यापार और मानव अधिकारों पर आधारित गनहरी वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। गनहरी वित्त समिति, जिसमें अल साल्वाडोर, भारत, मलावी और यूनाइटेड किंगडम के एनएचआरआई शामिल हैं, के अध्यक्ष के रूप में मैंने 2024 के लिए वित्तीय रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, बजट प्रस्ताव और धन संचय की रणनीतियाँ प्रस्तुत की। अंत में, 9 मई 2024 को, हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल मंच (CFNHRI) की वार्षिक बैठक में भाग लिया, जहाँ राष्ट्रमंडल देशों के एनएचआरआई ने CFNHRI के कार्यों की समीक्षा करने और भविष्य की योजनाएँ बनाने पर चर्चा की।

समृद्ध प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा मानव अधिकारों को संवर्धित करने वाली है, यही कारण है कि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देश, भारत की सराहना करते हैं। इन बैठकों और सभाओं से मानव अधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाने का अवसर प्राप्त हुआ, विविध और समृद्ध प्रथाओं को साझा किया जो प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समर्पित अंतरराष्ट्रीय मंचों में हमारी भूमिका को प्रदर्शित करता है।

> भारत मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वैश्विक चर्चाओं और बहसों का नेतृत्व करने के लिए तत्पर है। हम अब अन्य देशों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और सभी के लिए गरिमा सुनिश्चित करने, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों से संबंधित लोगों के लिए मूल्यवान सीख देते हैं।

भारत मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वैश्विक चर्चाओं और बहसों का नेतृत्व करने के लिए तत्पर है। हम अब अन्य देशों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और सभी के लिए गरिमा सुनिश्चित करने, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों से संबंधित लोगों के लिए मूल्यवान सीख देते हैं। आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के सामूहिक अभियान में योगदान देने के लिए समर्पित है। सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, हम अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं।

1 जून 2024 को, माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और माननीय सदस्य, श्री राजीव जैन, एनएचआरसी में तीन साल के कार्यकाल के बाद कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए। सभी के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उनकी विशेषज्ञता और उत्साह ने आयोग की गतिविधियों और जनसंपर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।। उनके तीन साल के कार्यकाल के दौरान, 2,88,695 शिकायतें दर्ज की गईं और 2,95,048 मामलों का निपटान किया गया, जिनमें पिछले वर्षों के मामले भी शामिल थे। आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद 200 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। इस अवधि में आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को मुआवजे के रूप में ₹ 47,72.26 लाख प्रदान किए। कमजोर समूहों के मानव अधिकारों की रक्षा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निभाई गई भूमिका को बहाल करते हुए, आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य, ट्रक ड्राइवरों के अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण, कैदियों द्वारा जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या के प्रयासों को कम करने, बाल यौन शोषण सामग्री, नेत्र संबंधी आघात को रोकने और कम करने, विधवाओं और भिखारियों के मुद्दों से सबंधित 13 परामर्शी जारी की।

मासिक न्यूजलेटर के इस संस्करण में संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि श्री सैयद अकबरुद्दीन द्वारा आम चुनाव 2024 पर लिखा गया एक विशेष लेख भी है। इसमें उन्होंने देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार और हमारे मानव अधिकारों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में चुनावों के महत्व के बारे में बताया है। लेख में चुनावी प्रक्रिया द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी वर्गों के लोगों, जिनमें कमजोर समूह भी शामिल हैं, को अपने जनादेश को व्यक्त करने का अवसर मिले।

मासिक न्यूजलेटर में एनएचआरसी, भारत के परिप्रेक्ष्य से बैठकों के दौरान हुई चर्चाओं पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, साथ ही अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों पर अपडेट का भी विवरण है, जिसमें एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी और संयुक्त सचिव, श्रीमती अनीता सिन्हा की न्यूयॉर्क में एजिंग पर 14वें ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप की यात्रा शामिल है।

जनता, संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, एनएचआरसी, भारत, विभिन्न पहलों के अलावा, 'मानव अधिकार: नई दिशाएँ' नामक एक वार्षिक हिंदी पत्रिका भी प्रकाशित करता है। इस संस्करण में सलाहकार बोर्ड की बैठक पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट शामिल है जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इसके वितरण और पहुंच को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर रचनात्मक अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी 'मानव अधिकारों पर लघु फिल्म प्रतियोगिता' के 10वें संस्करण की शुरुआत की है।। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको न्यूजलेटर का यह संस्करण जानकारीपूर्ण और रोचक लगेगा।

[भरत लाल]
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुख्य खबर

एनएचआरसी, भारत उभरते मानव अधिकार मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए जिनेवा में वैश्विक बिरादरी में शामिल हुआ

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और महासचिव श्री भरत लाल जिनेवा में एनएचआरआई के एशिया प्रशांत मंच (एपीएफ) की गवर्नेंस कमेटी की बैठक में भाग लेते हुए

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा एवं महासचिव श्री भरत लाल ने एशिया प्रशांत मंच (एपीएफ) और राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन (गनहरी) की विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैठकों में भाग लेने के लिए 5 से 9 मई 2024 तक जिनेवा का दौरा किया। एनएचआरसी, भारत राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं (एनएचआरआई) को मजबूत करते हुए मानव अधिकारों और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से सक्रिय रूप से साझेदारी और सहयोग बना रहा है।

5 मई, 2024 को न्यायमूर्ति मिश्रा और श्री भरत लाल ने एनएचआरआई के एशिया प्रशांत फोरम (एपीएफ) की गवर्नेंस कमेटी की बैठक में भाग लिया, जिसमें इसकी मध्यावधि रिपोर्ट, वार्षिक परिचालन योजना और बजट (2024-25) और एपीएफ नीतियों की समीक्षा की गई। इसके बाद, 6 मई, 2024 को, वे एपीएफ की क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए, ताकि अपने-अपने देशों में मानव

श्री भरत लाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव और गनहरी वित्त आयोग के अध्यक्ष, आम सभा के दौरान वित्तीय और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए क्षेत्र में एनएचआरआई को बढ़ावा देने के लिए रणनीति बनाई जा सके।

श्री भरत लाल ने गनहरी के वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में 7 मई, 2024 को जिनेवा में आम सभा के दौरान वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभा द्वारा वित्तीय और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को स्वीकार किया गया, 2024 के बजट को मंजूरी दी गयी और धन संचय की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की गयी। बैठक में, एनएचआरसी, भारत के साथ-साथ वित्त आयोग में यूके, मलावी और अल साल्वाडोर के एनएचआरआई के प्रतिनिधि भी शामिल रहे।

8 मई, 2024 को न्यायमूर्ति मिश्रा और श्री लाल ने जिनेवा के पैलेस डेस नेशंस में 'व्यापार और मानव अधिकार : एनएचआरआई की भूमिका और अनुभव' विषय पर आधारित गनहरी 2024 वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। 'व्यापार और मानव अधिकार विनियमन – टुवर्ड्स स्मार्ट मिक्स' विषय पर केन्द्रित एक सत्र को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने मानव अधिकार सिद्धांतों के साथ व्यावसायिक गतिविधियों को सुसंगत बनाने में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मानव अधिकारों पर व्यावसायिक गतिविधियों के प्रभावों के समाधान के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वैच्छिक और अनिवार्य दोनों उपायों को शामिल करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति मिश्रा ने एनएचआरसी, भारत की पहलों के बारे में बात की, जिसमें व्यापार और मानव अधिकारों पर एक कोर ग्रुप का गठन और समाज के विभिन्न वर्गों और व्यवसायों पर विभिन्न परामर्शी जारी करना शामिल है, जिसका उद्देश्य सतत विकास के लिए विकास अनिवार्यताओं और मानव अधिकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन हासिल करना है।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा 'व्यापार और मानव अधिकार विनियमन - टुवर्ड्स स्मार्ट मिक्स ' पर आधरित सत्र को संबोधित करते हुए

गनहरी 2024 वार्षिक बैठक के अवसर पर, एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने 'जबरन विस्थापन और राज्यविहीनता: "एनएचआरआई की भूमिका और अनुभवों पर ज्ञान विनिमय' और वैश्विक शरणार्थी मंच के तहत अवसर" विषय पर आधारित एनएचआरआई विशिष्ट योजनाओं की जानकारी के आदान-प्रदान में भाग लिया। इस सत्र में, श्री भरत लाल ने राज्यविहीनों और जबरन विस्थापित लोगों का स्वागत करने की भारत की सदियों पुरानी प्रथा पर प्रकाश डाला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शरण पाने वाले सीरियाई ईसाइयों और यहूदियों से लेकर, पोलिश बच्चों तक, भारत स्वतंत्रता-पूर्व युग से ही शरणार्थियों के लिए एक आश्रय स्थल रहा है। श्री लाल ने तिब्बत, पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश), अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार के नागरिकों के बारे में भी बात की, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में शरण ली।

गनहरी वार्षिक सम्मेलन में, 80 से अधिक एनएचआरआई ने, 'व्यापार और मानव अधिकारों पर परिणाम वक्तव्य', जिसमें मानव अधिकारों के संवर्धन, निगरानी और शिकायत निवारण के लिए अधिदेशों का लाभ उठाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि, विशेष रूप से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ऑनलाइन सिविल स्पेस और डिजिटल प्रौद्योगिकियों एवं नीति और नियामक उपायों का 'स्मार्ट मिक्स' पहलु शामिल थे, का समर्थन किया।

व्यापार और मानव अधिकारों पर परिणाम वक्तव्य में व्यावसायिक प्रथाओं के अंतर्गत मानव अधिकार सिद्धांतों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एनएचआरआई और संयुक्त राष्ट्र भागीदारों के बीच सहयोग का भी आह्वान किया गया। इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति मिश्रा और श्री लाल ने जिनेवा में राष्ट्रमंडल राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के मंच (CFNHRI) की वार्षिक बैठक में भाग लिया, जहाँ राष्ट्रमंडल देशों के एनएचआरआई CFNHRI के काम की समीक्षा करने और भविष्य के लिए रणनीति बनाने के लिए एकत्र हुए थे।

जिनेवा में गनहरी वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधिगण

लेख

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरे तीन वर्ष

- न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा

जब मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल, जो 1 जून, 2024 को समाप्त होने जा रहा है के बारे में सोचता हूँ, तो मैं कृतज्ञता और जिम्मेदारी की भावना से ओतप्रोत हो जाता हूँ। पिछले तीन वर्षों में, 2 जून 2021 को पदभार ग्रहण करने के बाद से, हमारे विविध और जीवंत राष्ट्र में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित इस संस्था का नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण दोनों ही रहा।

शुरू से ही, एनएचआरसी के लिए मेरा दृष्टिकोण न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों को बनाए रखने की गहरी प्रतिबद्धता से निर्देशित रहा है। मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कैसी भी हों, गरिमा और सम्मान का हकदार है। यह विश्वास मानव अधिकारों से जुड़ी विभिन्न चिंताओं को दूर करने के हमारे प्रयासों के लिए प्रेरक शक्ति रहा है, जिसमें महिलाओं, बच्चों, बंधुआ और प्रवासी मजदूरों, एससी/एसटी, खानाबदोश जनजातियों, ट्रक ड्राइवरों, एलजीबीटीक्यूआई+, सफाई कर्मचारियों, दिव्यांगजनों सहित समाज के कमजोर वर्गों की दुर्दशा से लेकर मानसिक स्वास्थ्य, साइबर अपराध और पर्यावरण क्षरण जैसे उभरते मुद्दों से उत्पन्न चुनौतियों से लेकर दुनिया भर में मानव अधिकारों से सबंधित मुद्दे शामिल हैं।

मेरे कार्यकाल के दौरान संज्ञान में लिए गये प्रमुख मुद्दों में से एक मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा था, जो गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। व्यक्तियों और परिवारों पर मानसिक बीमारी के गहन प्रभाव को पहचानते हुए, हमने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार और ठीक हो चुके रोगियों के पुनर्वास के लिए जागरूकता बढ़ाने और नीति सुधारों का समर्थन करने के

“मेरे कार्यकाल के दौरान संज्ञान में लिए गये प्रमुख मुद्दों में से एक मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा था, जो गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।”

लिए अथक प्रयास किया है। आयोग के विशेष प्रतिवेदकों द्वारा देश में चार मानसिक स्वास्थ्य सेवा अस्पतालों और 43 अन्य का दौरा करने, हितधारकों के साथ सहयोग और जन जागरूकता अभियानों सहित लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से, हमने मानसिक बीमारी का निराकरण करने और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि सभी व्यक्तियों को स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जीने के लिए आवश्यक देखभाल और सहायता तक पहुँच प्राप्त हो सके हो।

साथ ही, सीवेज और जोखिमभरे कचरे की हाथ से सफाई को खत्म करना और इसे मशीनीकृत सफाई से बदलना प्राथमिकता पर रहा। इस अमानवीय प्रथा, जो हाशिए के समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित करती है, का आधुनिक और समावेशी समाज में कोई स्थान नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए कानून और नीतियां हैं, लेकिन इन प्रावधानों के समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वयन वह है जिसे हमने इन श्रमिकों की गरिमा और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और प्रभावित समुदायों के साथ जुड़कर इन तीन वर्षों के दौरान लगातार और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है।

जल, वायु, मिट्टी और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन और घटते हरित आवरण के कारण पर्यावरण का क्षरण एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को सीधे प्रभावित करता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, मुझे पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा बनने का अवसर मिला। एनएचआरसी में आने के बाद, राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के राज्यों हरियाणा, पंजाब और ऊधमपुर में पराली जलाने और अन्य संबंधित कारकों के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण जीवनकाल में 10 साल की कमी का संकेत देने वाली मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक स्वत: संज्ञान मामला दर्ज किया गया था।

लगभग दो वर्षों तक चली ऑनलाइन सुनवाई में हमने सुनवाई के दायरे को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जल, अपशिष्ट निपटान, धूल प्रबंधन, वनों की कटाई और स्वच्छता सहित पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न रूपों तक विस्तारित किया। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान, हमने उनके संबंधित मुख्य सचिवों से

> “इसी प्रकार, सीवेज और जोखिमभरे कचरे की हाथ से सफाई को खत्म करना और इसे मशीनीकृत सफाई से बदलना प्राथमिकता पर रहा।”

समयबद्ध तरीके से मामले में प्रगति को अद्यतन करने के लिए कहा, ताकि अन्य उपायों के अलावा गरीब किसानों को सहायता के साथ स्वच्छ ईंधन, वनीकरण, सीवेज की मशीनीकृत सफाई और पराली के मशीनीकृत निपटान को बढ़ावा दिया जा सके। मुझे यकीन है कि आने वाले वर्षों में इस सामूहिक प्रयास का सकारात्मक प्रभाव जमीनीस्तर पर दिखाई देगा क्योंकि यह प्रगतिशील काम है।

फोरेंसिक जांच, जेल की स्थिति और पीड़ितों को कानूनी सहायता सहित आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आयोग ने विभिन्न हितधारकों के साथ सार्थक रूप से काम किया है। चिंता के इन प्रमुख क्षेत्रों के अलावा, हमने एनएचआरसी के संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और मानव अधिकार उल्लंघन के मुद्दों का समाधान करने में इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। हमने कोर समूहों का विस्तार किया है, विशेष मॉनिटर और विशेष प्रतिवेदकों की क्रियाविधि में विविधता लाई है और अनुसंधान और क्षमता निर्माण पहलों में निवेश किया है। इन प्रयासों ने हमें मानव अधिकार स्थितियों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने, उभरती चुनौतियों का तेजी से जवाब देने और ठोस सबूतों एवं विश्लेषण के आधार पर सार्थक नीति सुधारों का समर्थन करने में सक्षम बनाया है।

विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों के साथ हुई बातचीत के कारण समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों के कल्याण और संरक्षण के लिए परामर्शी जारी करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूती मिली है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सफाई कर्मचारियों के खाद्य सुरक्षा और पोषण के अधिकार, बंधुआ मजदूरी, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति, पर्यावरण प्रदूषण, ट्रक चालक, नेत्र संबंधी आघात, जेल, एलजीबीटीक्यूआई, मानसिक स्वास्थ्य, सीसैम, विधवाओं और भिखारियों के मुद्दों से सम्बन्धित13 परामर्शी जारी की गई हैं, जो इस मायने में संतोषजनक हैं कि इनका कार्यान्वयन मानव अधिकारों के हित में प्रभावी साबित होगा।

जब मैंने 2 जून, 2021 को दो सदस्यों, न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार और श्री राजीव जैन के साथ आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था, तब लगभग 11,255 मामले लंबित थे। मेरा ध्यान मामलों के निपटारे में तेजी लाने और पीड़ितों को राहत देने पर था। मेरे कार्यकाल के पिछले तीन वर्षों के दौरान, शायद यह बहुत ही संक्षिप्त अवधि थी जब आयोग के पास सदस्यों की पूरी संख्या थी। फिर भी, हमने 213 स्वत: संज्ञान मामलों सहित 2,88,695 से अधिक मामले दर्ज किए। वास्तव में, यह चुनौतीपूर्ण लेकिन संतोषजनक था कि हम पिछले वर्षों के मामलों सहित 2,95,048 से अधिक मामलों का निपटारा करने में सक्षम रहे, जिससे लंबित मामलों में 50% से अधिक की कमी आई और 1,123 मामलों में पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधियों को राहत के रूप में 47,76.26 लाख रुपये से अधिक की संस्तुति की गई।

मानव अधिकार संरक्षकों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ चर्चा भी मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के हमारे दृष्टिकोण का आधार रहा है। हमने उनके अमूल्य विशेषज्ञता, संसाधनों और जमीनी स्तर के जुड़ाव को पहचानते हुए इन प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की है। साथ मिलकर काम करके, हम अपने प्रभाव को बढ़ाने, प्रणालीगत सुधारों का समर्थन करने और समुदायों को उनके अधिकारों का दावा करने और कर्तव्य-धारकों को जवाबदेह ठहराने के लिए सशक्त बनाने में सक्षम हुए हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों में हमारी भागीदारी ने मानव अधिकार एजेंडे को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान किए हैं। हमने अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार तंत्रों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव किया है, वैश्विक बहस और चर्चाओं में योगदान दिया है, और भारत में अपने अनुभवों से सीखे गए सर्वोत्तम अभ्यासों और सबक को साझा किया है। इन मंचों में भाग लेकर, हमने मानव अधिकार मानकों को बनाए रखने और स्वदेश और विदेश दोनों जगह जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए एनएचआरसी, भारत की सराहना देखकर बहुत खुशी हुई, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (गनहरी), एनएचआरआई के एशिया प्रशांत फोरम, राजनयिकों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों सहित अन्य वैश्विक भागीदारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इसके अलावा, मीडिया के साथ हमारा जुड़ाव मानव अधिकार मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हाशिए के समुदायों की आवाज को बढ़ाने में सहायक रहा है। इस अवधि के दौरान एनएचआरसी के संदर्भ में 15,000 समाचार क्लिपिंग इस बात का संकेत देती हैं। रणनीतिक मीडिया जुड़ाव के माध्यम से, हमने सार्वजनिक बातचीत को बढ़ावा देने, मानव अधिकार कारणों के लिए समर्थन जुटाने और सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की कोशिश की है। तीन वर्षों में, हमने शिविरों के बाद चार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 42 साक्षात्कार दिए, 360 से अधिक प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं और लगभग 3,000 एक्स हैंडल पोस्ट किए। मीडिया के सहयोग से, हम मानव अधिकार उल्लंघन के मुद्दों पर प्रकाश डालने और नीतिगत और जमीनी स्तर पर सार्थक बदलाव का समर्थन करने में सक्षम हुए हैं।

आने वाले समय में एनएचआरसी के लिए मेरा दृष्टिकोण निरंतर विकास, दृढ़ता और इसे प्रभावी बनाने का है। जबकि पिछले तीन वर्षों में उपलब्धियाँ मिली हैं, फिर भी अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है क्योंकि हम जानते हैं कि मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना प्रगतिशील काम है। हमें उभरती मानव अधिकार चुनौतियों का सामना करने के लिए सतर्क रहना चाहिए, उनका समाधान करने के लिए दृष्टिकोण में अनुकूलता लानी चाहिए और सभी व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता में अडिग रहना चाहिए। अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहकर और सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करके, मुझे विश्वास है कि हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहाँ सभी के लिए मानव अधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और पालन किया जाएगा।

लेख

भारतीय चुनाव: मानव अधिकार का सबसे बड़ा प्रयोग

- श्री सैयद अकबरुद्दीन
डीन, कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी और पूर्व राजनयिक

> भारतीय चुनावों के तार्किक चमत्कार से परे, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की स्थिति का कोई भी आकलन यूडीएचआर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा करने में भारतीय नागरिकों की सामूहिक इच्छा के इस प्रदर्शन को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।

भारतीय नागरिकों ने मानव जाति के इतिहास में मानव अधिकार का सबसे बड़ा सामूहिक प्रयोग पूरा कर लिया है। यह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) के अनुच्छेद 21 में निहित अधिकार है, जिसमें इस प्रकार कहा गया है कि:

प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश में सार्वजनिक सेवा तक समान पहुँच का अधिकार है।

जनता की इच्छा सरकार के अधिकार का आधार होगी; यह जनता की इच्छा आवधिक और वास्तविक चुनावों में व्यक्त की जाएगी जो सार्वभौमिक और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान या समकक्ष स्वतंत्र मतदान प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किए जाएँगे।

शासन में स्वतंत्र इच्छा की यह अभिव्यक्ति इतनी मूल्यवान है कि इसका उल्लेख नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा (ICCPR) में भी मिलता है, जिसके अनुच्छेद 25 में यह प्रावधान है:

प्रत्येक नागरिक को बिना किसी अनुचित प्रतिबंध के अधिकार और अवसर प्राप्त होगा:

सार्वजनिक मामलों के संचालन में सीधे या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का;

मतदान करने और वास्तविक आवधिक चुनावों में निर्वाचित होने का, जो सार्वभौमिक और समान मताधिकार द्वारा होगा और गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें मतदाताओं की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की गारंटी होगी;

समानता की सामान्य शर्तों पर, अपने देश में सार्वजनिक सेवा तक पहुँच प्राप्त करने का।

लोकतंत्र तब फलता-फूलता है जब समाज के सभी समूहों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के अवसर मिलते हैं। एक स्तर पर, यह अनुमान लगाया गया है कि 970

मिलियन पात्र मतदाताओं में से, 312 मिलियन महिलाओं सहित 642 मिलियन भारतीयों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने चुनावों में समावेशिता और सुलभता सुनिश्चित करने के लिए 15 मिलियन से अधिक मतदान और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी पात्र मतदाता शारीरिक या अन्य बाधाओं के कारण अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। देश भर में स्थापित दस लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर अधिकांश पात्र भारतीयों ने मतदान किया। पहली बार, ईसीआई ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे मतदान करने की सुविधा का विस्तार किया और 40% बेंचमार्क दिव्यंगता वाले दिव्यंगजनों के लिए पूरे भारत में योजना लागू की गई। इसी तरह, मणिपुर और जम्मू और कश्मीर के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के लिए मतदान के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए मणिपुर, दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में विशेष मतदान व्यवस्था की गई। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर ब्रेल लिपि उपलब्ध कराई गई, ब्रेल-सक्षम चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) और दृष्टिबाधित मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता पर्चियों का भी उपयोग किया गया।

मतदान में शारीरिक बाधाओं को खत्म करने के अलावा, ट्रांसजेंडर लोगों, यौनकर्मियों और अन्य विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसी कुछ कमजोर आबादी के आसपास की सामाजिक बाधाओं और कलंक को दूर करने के प्रयास किए गए ताकि चुनाव प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

भारत के बहुलवादी समाज के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के सभी धर्मों के भारतीयों द्वारा स्वतंत्र इच्छा की इस समावेशी अभिव्यक्ति को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रखकर ही समझा जा सकता है। 2024 में दुनिया भर में 50 से अधिक राष्ट्रीय चुनाव होंगे। 1 जून 2024 तक आधे से अधिक चुनाव पूरे हो चुके हैं। 312 मिलियन महिलाओं सहित 642 मिलियन भारतीय नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो दुनिया भर के बाकी मतदाताओं से अधिक है जिन्होंने 2024 में अब तक राष्ट्रीय चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

इस उपलब्धि को हासिल करने में, भारत के चुनावी तंत्र ने लंबे समय तक चलने वाले चुनाव और अत्यधिक गर्मी के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में उल्लेखनीय कर्मठता दिखाई है। हालाँकि, इस लोकतांत्रिक अभ्यास को पूरा करने में असामान्य रूप से भारी मानवीय क्षति हुई है। इसने चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से इस बात की समीक्षा करने की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है कि क्या भविष्य में आम चुनावों के दौरान गर्मी के मौसम से बचा जा सकता है। आखिरकार, भारत में अगले आम संसदीय चुनाव में मानव जाति के इतिहास में पहली बार एक अरब लोगों की स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग होगा। इसलिए, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि तब तक मौजूदा व्यवस्था की कमियों को दूर कर लिया जाए।

भारतीय चुनावों के तार्किक चमत्कार से परे, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की स्थिति का कोई भी आकलन यूडीएचआर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा करने में भारतीय नागरिकों की सामूहिक इच्छा के इस प्रदर्शन को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता। चुनाव लोकतांत्रिक शासन की नींव हैं और अन्य मानव अधिकारों को संरक्षित, सुरक्षित और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक समाज जो चुनावी अभ्यास को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाता है - जैसा कि भारत - मानवता के मूल मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अब, भारतीय चुनावों के बाद, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोगों के लिए यह सबसे अच्छा समय है कि वे चुनावी प्रक्रिया के प्रति इस अद्वितीय और दृढ़ भारतीय निष्ठा को सलाम करें। आखिरकार, भारतीय खुद को कैसे नियंत्रित करते हैं, यह न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की स्थिति के लिए भी महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

16 लड़कियों का यौन शोषण करने के संबंध में नासिक शेल्टर होम के निदेशक के खिलाफ कार्रवाई

(केस नंबर 4082/13/19/2022)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा किए गए हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप मानव अधिकार उल्लंघन के कई पीड़ितों को राहत मिली है। हर महीने इस संबंध में सफलता की कहानियाँ सामने आती हैं। इनमें एक और मामला भी शामिल है जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा नासिक शेल्टर होम में 16 लड़कियों के यौन शोषण के मामले में आयोग द्वारा उसे भेजे गये नोटिस के जवाब में सूचित किया गया था, जहाँ उक्त होम के आरोपी निदेशक को गिरफ्तार कर लिया गया था और अदालत में मुकदमा चल रहा है।

सभी पीड़ितों को ₹4 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें से ₹3 लाख प्रत्येक को दो किस्तों में भुगतान करने की मंजूरी दी गई है। शेष राशि ₹1 लाख प्रत्येक को मुकदमा पूरा होने के बाद भुगतान की जाएगी। वित्तीय सहायता के अलावा, सरकार ने पीड़ितों को आगे की शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिला भी दिलाया है और लड़कियों को नियमित अंतराल पर परामर्श भी दिया जा रहा है।

आयोग ने जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, नासिक को पीड़ितों को स्वीकृत किश्तों में से प्रत्येक को 3 लाख रुपये का भुगतान शीघ्र करने और मुकदमे के पूरा होने के बाद शेष राशि 1 लाख रुपये वितरित करने को कहा है।

आयोग ने 28 नवंबर, 2022 को घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें मामले में शामिल दंडनीय अपराधों को निर्दिष्ट करने वाली एफआईआर की स्थिति, जांच की प्रगति और परिणाम, यदि कोई आरोपी है तो उसकी गिरफ्तारी, पीड़ित लड़कियों की स्वास्थ्य स्थिति और राज्य अधिकारियों द्वारा पीड़ितों को प्रदान की गई आर्थिक राहत/पुनर्वास, यदि कोई है, की स्थिति शामिल है। उनसे पीड़ितों, विशेष रूप से दर्दनाक घटना के नाबालिग पीड़ितों को प्रदान की गई काउंसलिंग के बारे में जानकारी देने की अपेक्षा की गई थी।

आयोग ने महाराष्ट्र के लिए अपने विशेष प्रतिवेदक को भी मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने बताया कि तीन साल से अधिक समय से नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण चल रहा था और 2019 में महामारी के दौरान भी ऐसा ही हुआ था और साथ ही, इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी।

आवारा कुत्तों के हमले के कारण एक व्यक्ति की मौत के मामले में हुई लापरवाही का खुलासा

(केस नंबर 8107/24/3/2023)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से कहा है कि वह पिछले साल अप्रैल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में हिंसक आवारा कुत्तों द्वारा मारे गए सफदर अली खान के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का भुगतान करे। भुगतान के सबूत की अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी गई है।

आयोग ने घटना के बारे में 17 अप्रैल, 2023 की मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और आयुक्त, अलीगढ़ नगर निगम को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। राज्य सरकार से यह बताने की अपेक्षा की गई थी कि मृतक के परिजनों को कोई राहत दी गई है या नहीं।

संबंधित अधिकारियों से प्राप्त जवाबी सामग्री के आधार पर आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न पीड़ित के निकटतम रिश्तेदारों को 7.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की जाए। हालांकि, अधिकारियों ने एएमयू के रजिस्ट्रार का एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि आयोग के नोटिस में विश्वविद्यालय से अनुपालन की आवश्यकता नहीं है और उसकी ओर से मानव अधिकारों का उल्लंघन या लापरवाही नहीं की गई है।

आयोग ने पाया कि संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। उसने पाया कि लोक सेवक की लापरवाही या उकसावे के कारण मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को आदेश से मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। तदनुसार, उसने अपने कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित 7.5 लाख रुपये की राहत राशि की पुष्टि की और संस्तुति की कि इसे पीड़ित के परिजनों को दिया जाना चाहिए। 65 वर्षीय सफ़दर अली खान को गली के कुत्तों के एक झुंड ने तब मार डाला था जब वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर के अंदर एक पार्क में सुबह की सैर के लिए निकले थे। इस घटना की व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की गई थी और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

स्वत:संज्ञान

मीडिया रिपोर्ट आयोग के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं के बारे में जानने का एक बहुत ही उपयोगी साधन रही है। पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने ऐसे कई मुद्दों पर स्वत:संज्ञान लिया है और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत दी। मई, 2024 के दौरान आयोग ने मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कथित मानव अधिकार उल्लंघन के 01 मामले में स्वत:संज्ञान लिया और रिपोर्ट के लिए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। मामलों का सारांश इस प्रकार है:

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अपर्याप्त प्रसाधन सुविधाएं

(केस नंबर 9161/24/19/2024)

मीडिया ने बताया कि नीति आयोग के आदेश के बावजूद, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम की उदासीनता के कारण चंदौली जिले के 71 परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्माण की जिम्मेदारी निगम को सौंपी गई थी, तथा प्रत्येक शौचालय के लिए धनराशि आवंटित की गई थी। इन कथित आरोपों के मद्देनजर, आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार और डीएम, चंदौली, उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

राहत के लिए संस्तुतियां

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का समाधान करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की संस्तुति करना है। यह नियमित रूप से ऐसे विभिन्न मामलों को उठाता है और पीड़ितों को राहत देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और संस्तुतियां देता है। मई, 2024 में, सदस्य पीठों द्वारा प्रतिदिन उठाए गए मामलों की संख्या के अलावा, पूर्ण आयोग द्वारा 82 मामले, डबल बेंच-I द्वारा 58 मामले, डबल बेंच-II द्वारा 56 मामले और डबल बेंच-III द्वारा 41 मामले सुने गए। 54 मामलों में पीड़ितों या उनके निकटतम रिश्तेदारों (NoK) के लिए ₹ 222.65 लाख से अधिक की मौद्रिक राहत की संस्तुति की गई, जिसमें पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

राहत के लिए संस्तुतियां

क्रम संख्या	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाखरु में)	प्राधिकरण
1	2592/1/21/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	आंध्र प्रदेश
2	490/1/5/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	आंध्र प्रदेश
3	932/1/5/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	आंध्र प्रदेश
4	126/3/4/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	असम
5	570/33/5/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	छत्तीसगढ़
6	5542/30/5/2020-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	04.00	दिल्ली
7	1185/7/20/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	हरियाणा
8	1607/7/7/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	हरियाणा
9	1666/7/18/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	हरियाणा
10	1080/7/10/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	हरियाणा
11	1767/7/1/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	हरियाणा
12	1837/7/6/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	हरियाणा
13	1080/7/10/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	हरियाणा
14	312/7/5/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	हरियाणा
15	3207/7/3/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	हरियाणा
16	3355/7/7/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	हरियाणा
17	1263/34/6/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	झारखंड
18	3469/13/28/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	महाराष्ट्र
19	781/13/21/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	महाराष्ट्र
20	8/16/6/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	मिजोरम
21	3872/18/25/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	ओडिशा
22	529/19/1/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	07.50	पंजाब
23	1515/36/2/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	तेलंगाना
24	10939/24/18/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	उत्तरप्रदेश
25	29482/24/70/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	उत्तरप्रदेश
26	4254/24/31/2019-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	उत्तरप्रदेश
27	1671/25/5/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	पश्चिम बंगाल
28	54/33/14/2020-पीसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	01.00	छत्तीसगढ़

राहत के लिए संस्तुतियां

क्रम संख्या	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाखरु में)	प्राधिकरण
29	950/19/12/2019-पीसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	पंजाब
30	2728/25/2/2023-डीएच	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	पश्चिम बंगाल
31	117/7/5/2021-एडी	न्यायिक हिरासत में कथित मौतें	05.00	हरियाणा
32	1669/7/18/2023-एडी	पुलिस हिरासत में कथित मौतें	10.00	हरियाणा
33	2754/7/1/2022-एडी	न्यायिक हिरासत में कथित मौतें	05.00	हरियाणा
34	2895/12/14/2020-एडी	न्यायिक हिरासत में कथित मौतें	05.00	मध्य प्रदेश
35	1053/34/4/2020-एडी	पुलिस हिरासत में कथित मौतें	05.00	झारखंड
36	440/19/6/2020-एडी	पुलिस हिरासत में कथित मौतें	07.50	पंजाब
37	3564/30/6/2023-डब्ल्यूसी	बलात्कार का प्रयास	00.50	दिल्ली
38	6033/30/8/2022-डब्ल्यूसी	पारिवारिक विवाद	01.00	दिल्ली
39	11189/24/22/2022-डब्ल्यूसी	महिलाओं का अपमान	00.50	उत्तर प्रदेश
40	485/30/2/2023	बाल बलात्कार	04.00	दिल्ली
41	526/12/35/2023	बाल अपहरण	02.00	मध्य प्रदेश
42	3779/12/8/2022	बिजली का करंट लगने से मौत	05.00	मध्य प्रदेश
43	3779/12/8/2022	बिजली का करंट लगने से मौत	05.00	मध्य प्रदेश
44	710/18/4/2023	बिजली का करंट लगने से मौत	05.00	ओडिशा
45	4335/22/36/2022	बिजली का करंट लगने से मौत	05.00	तमिलनाडु
46	28414/24/3/2023	बिजली का करंट लगने से मौत	05.00	उत्तर प्रदेश
47	3940/30/2/2023	सत्ता का दुरुपयोग	00.50	दिल्ली
48	340/10/4/2022	सत्ता का दुरुपयोग	00.50	कर्नाटक
49	251/6/5/2023	शैक्षणिक संस्थान/तकनीकी संस्थान (सरकारी/निजी)	00.25	गुजरात
50	1344/34/7/2022	सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताएं	00.05	झारखंड
51	91/34/6/2023	राज्य सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	00.10	झारखंड
52	4847/25/11/2022	वेतन/मजदूरी का भुगतान न करना	00.25	पश्चिम बंगाल
53	741/7/5/2023	विविध	10.00	हरियाणा
54	423/13/23/2023	विविध	00.25	महाराष्ट्र

पीड़ितों को राहत का भुगतान

आयोग ने विभिन्न लोक प्राधिकरणों से भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट या अन्य अवलोकन /निर्देश की प्राप्ति होने पर 55 मामलों का निपटान किया। आयोग की संस्तुतियों पर पीड़ितों या उनके निकटतम रिश्तेदारों (NoK) को ₹ 235.75 लाख की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्रम संख्या	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाख₹ में)	प्राधिकरण
1	2727/4/9/2020-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	बिहार
2	1103/30/9/2020-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	07.00	दिल्ली
3	1643/7/18/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	हरियाणा
4	2169/7/9/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	हरियाणा
5	1495/34/24/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	झारखंड
6	411/13/16/2019-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	महाराष्ट्र
7	464/18/10/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	ओडिशा
8	7515/22/46/2020-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	07.50	तमिलनाडु
9	1594/36/10/2020-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	तेलंगाना
10	13948/24/20/2019-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	उत्तर प्रदेश
11	1921/25/10/2020-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	पश्चिम बंगाल
12	239/25/13/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	05.00	पश्चिम बंगाल
13	54/33/14/2020-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत	01.00	छत्तीसगढ़
14	950/19/12/2019-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत	05.00	पंजाब
15	149/3/28/2022-ED	पुलिस मुठभेड़ में मौत	02.50	असम
16	4052/30/9/2021-एडी	पुलिस हिरासत में कथित मौत	02.50	दिल्ली
17	1053/34/4/2020-एडी	पुलिस हिरासत में कथित मौत	05.00	झारखंड
18	738/34/6/2019-एडी	न्यायिक हिरासत में कथित मौत	05.00	झारखंड
19	417/13/19/2020-एडी	पुलिस हिरासत में कथित मौत	10.00	महाराष्ट्र
20	440/19/6/2020-एडी	पुलिस हिरासत में कथित मौत	07.50	पंजाब
21	1635/1/6/2021-डब्ल्यूसी	सामूहिक बलात्कार	00.25	आंध्र प्रदेश
22	5433/4/20/2022-डब्ल्यूसी	बलात्कार	01.00	बिहार
23	8/27/0/2022-डब्ल्यूसी	दहेज हत्या या उसका प्रयास	01.00	चंडीगढ़
24	959/10/1/2022-डब्ल्यूसी	पुलिस स्टेशन के बाहर बलात्कार	02.00	कर्नाटक

पीड़ितों को राहत का भुगतान

क्रम संख्या	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाखरु में)	प्राधिकरण
25	485/30/2/2023	बाल बलात्कार	04.00	दिल्ली
26	9423/24/30/2021	बाल बलात्कार	03.00	उत्तर प्रदेश
27	7349/30/8/2021	बच्चे	05.00	दिल्ली
28	3756/18/2/2022	बच्चे	00.50	ओडिशा
29	47/6/1/2023	बच्चे	06.00	गुजरात
30	2293/18/4/2020	नवजात शिशु की मृत्यु	01.00	ओडिशा
31	2051/18/7/2022	बिजली का करंट लगने से मौत	04.00	ओडिशा
32	2386/18/7/2022	बिजली का करंट लगने से मौत	05.00	ओडिशा
33	2645/18/5/2021	बिजली का करंट लगने से मौत	05.00	ओडिशा
34	2847/18/0/2022	बिजली का करंट लगने से मौत	05.00	ओडिशा
35	4451/18/5/2022	बिजली का करंट लगने से मौत	05.00	ओडिशा
36	28414/24/3/2023	बिजली का करंट लगने से मौत	05.00	ओडिशा
37	4684/25/5/2022	बिजली का करंट लगने से मौत	03.00	पश्चिम बंगाल
38	4481/4/8/2021	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	05.00	बिहार
39	7513/30/6/2022	कानूनी कार्रवाई करने में विफलता	00.25	दिल्ली
40	673/4/38/2023	स्कूलों/अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक दंड	00.30	बिहार
41	1590/30/2/2023	विद्यार्थियों और अभिभावकों का उत्पीड़न	00.25	दिल्ली
42	4895/30/1/2021	अन्य सेवा विवाद	02.00	दिल्ली
43	4712/20/6/2022	चिकित्सा लापरवाही	02.00	राजस्थान
44	782/19/2/2020	चिकित्सा लापरवाही	08.00	पंजाब
45	4634/20/21/2022	राज्य सरकार/केंद्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	03.00	राजस्थान
46	1462/7/0/2022	राज्य सरकार/केंद्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	00.10	हरियाणा
47	340/12/16/2018	राज्य सरकार/केंद्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	02.00	मध्य प्रदेश
48	1510/18/3/2022	शक्ति का दुरुपयोग	01.00	ओडिशा
49	28910/24/36/2019	शक्ति का दुरुपयोग	02.00	उत्तरप्रदेश
50	3746/24/10/2022	शक्ति का दुरुपयोग	03.00	उत्तरप्रदेश
51	8764/24/34/2021	शक्ति का दुरुपयोग	02.00	उत्तरप्रदेश
52	17350/24/39/2020	अनुसूचित जाति का उत्पीड़न	02.00	उत्तरप्रदेश
53	87/25/23/2022	उद्योग/कारखाने में दुर्घटनाएँ		पश्चिम बंगाल
54	741/7/5/2023	विविध		हरियाणा
55	7657/30/8/2022	विविध		दिल्ली

केस स्टडी

कई मामलों में, आयोग को संबंधित राज्य प्राधिकरणों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न करना

(केस नंबर 4895/30/1/2021)

मामला शिकायतकर्ता को उसके नियोक्ता, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत CAPART द्वारा 2010 में उसकी सेवानिवृत्ति के बाद से सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न करने से संबंधित था। 2022 में आयोग में शिकायत दर्ज करने के कुछ महीनों के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बेटे ने आयोग को जानकारी देते हुए अपने पिता के वैध बकाए के भुगतान के संदर्भ में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि बकाया भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बावजूद राशि की गणना सहित छोटे प्रक्रियात्मक पहलुओं के लंबित रहने तक बकाया राशि का वितरण नहीं किया गया। इसलिए, आयोग ने संस्तुति की कि ग्रामीण विकास विभाग (DRD), ग्रामीण विकास मंत्रालय मृतक पीड़िता के निकटतम संबंधियों को सेवानिवृत्ति बकाया राशि के वितरण में देरी के लिए ब्याज के अलावा 2 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करे। कुल ₹ 2,31,575/- (₹ 2 लाख मुआवजा राशि + ₹ 31,575/- ग्रेच्युटी और 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के बकाया के भुगतान में देरी पर ब्याज के रूप में) का भुगतान किया गया।

चिकित्सकीय लापरवाही

(केस नंबर 782/19/2/2020)

यह मामला उस घटना से संबंधित है, जिसमें 2020 में पंजाब के भटिंडा के सिविल अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित एक लड़की को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया गया था। आयोग ने पंजाब सरकार के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर आयोग ने पाया कि यह सिर्फ एक मामला नहीं था, बल्कि जिला अस्पताल के कर्मचारियों की ओर से की गई चूक के कारण कुल पांच लोग एचआईवी पॉजिटिव हो गए थे। इसलिए, आयोग ने संस्तुति की कि पंजाब सरकार पीड़ितों को ₹4 लाख की राहत दे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

दूषित पानी पीने से छात्र की मौत

(केस नंबर 4634/20/21/2022)

यह मामला 2022 में राजस्थान के कोटा के जवाहर नगर में दूषित पानी पीने से हुई एक छात्र की मौत से संबंधित है। अपने नोटिस के जवाब में संबंधित राज्य अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि लगभग 65 छात्र लीवर की समस्याओं और हेपेटाइटिस से बीमार पड़ गए थे। 13 अक्टूबर, 2022 को इलाज के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। आयोग ने संस्तुति की कि राजस्थान सरकार मृतक छात्र के निकटतम रिश्तेदारों को ₹3 लाख की राहत दे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

पुलिस स्टेशन का गेट गिरने से बच्चे की मौत

(केस नंबर 47/6/1/2023)

यह मामला उस घटना से संबंधित है जिसमें 2023 में अहमदाबाद, गुजरात के शाहरकोटदा में नवनिर्मित पुलिस स्टेशन का मुख्य गेट गिरने से दो बच्चे घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई थी। अपने नोटिस के जवाब में संबंधित राज्य अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर, आयोग ने राज्य और ठेकेदार दोनों को उनकी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने संस्तुति की कि गुजरात सरकार मृतक बच्चे के परिवार को ₹5 लाख और घायल बच्चे को ₹1 लाख की राहत दे, जिसका भुगतान किया गया।

घटनास्थल पर पूछताछ

आयोग के अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों द्वारा मई, 2024 के दौरान निम्नलिखित घटनास्थल पर पूछताछ की गई:

क्रम संख्या	केस संख्या	शिकायत	जाँच की तिथि
1.	539/90/0/2023	दिल्ली में गरीब बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है।	13-17 मई, 2024
2.	11155/24/48/202	उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस हिरासत में यातना और क्रूर हमले के कारण किसान की मौत।	27-30 मई, 2024

क्षेत्रीय दौरा

विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटरों द्वारा किये गये दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदक नियुक्त किए हैं। इसके अलावा आयोग ने 17 विशेष मॉनिटर भी नियुक्त किए हैं, जिन्हें देश में संबंधित विकास पर नजर रखने और तदनुसार आयोग को रिपोर्ट करने के लिए मानव अधिकारों के विषयगत मुद्दों को सौंपा गया है। मई 2024 तक, विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर दोनों ने कई स्थानों का दौरा किया।

विशेष प्रतिवेदक

- 17 मई से 22 मई, 2024 तक श्री उमेश कुमार ने गुवाहाटी के सारणिया हिल्स में स्थित एक दत्तक गृह महादेवी मातृ मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने रहने की स्थिति का आकलन किया और मानवाधिकारों की स्थिति पर रिपोर्ट दी।

- 20 से 25 मई, 2024 तक श्री महेश कुमार सिंगला ने पंजाब के बरनाला और संगरूर में जिला जेलों का दौरा किया और कैदियों की स्थिति और उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का आकलन किया।

विशेष मॉनिटर्स

- 14 से 18 मई, 2024 तक श्री प्रेम सिंह बिष्ट ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य संस्थान द्वारा मानव अधिकारों के अनुपालन का आकलन करना और मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रथाओं को उजागर करना था।

- 22 मई, 2024 को श्री फौजान अलवी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का दौरा किया और वहां सीवेज कर्मचारियों की स्थिति का निरीक्षण किया और उस पर रिपोर्ट दी।

प्रशिक्षण - मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के माध्यम से संबंध निर्माण करना

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप का समापन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा आयोजित दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम 10 मई, 2024 को संपन्न हुआ। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगभग 69 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी के सदस्य श्री राजीव जैन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इंटर्नशिप ने मानव अधिकार मुद्दों, विशेष रूप से पीड़ितों के दृष्टिकोण से, के बारे में प्रशिक्षुओं की समझ को बढाया है और हाशिए के समुदायों के लिए सहानुभूति को बढ़ावा देने में मदद की है। उन्होंने उनसे न्याय और समानता का समर्थन करने का आग्रह किया, मानव अधिकार अधिवक्ताओं के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

एनएचआरसी के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र कुमार निम ने सत्र के दौरान इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा पुस्तक समीक्षा, ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट प्रजेंटेशन और भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य श्री राजीव जैन, समापन सत्र को संबोधित करते हुए

कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं को एनएचआरसी, भारत के सदस्यों, पूर्व प्रधान सलाहकारों, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य प्रतिष्ठित प्रोफेशनल्स के नेतृत्व में संचालित सत्रों में भाग लेने का अवसर मिला, जिससे उन्हें आयोग के कामकाज और मानव अधिकार उल्लंघनों से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली।

इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षुओं के लिए तिहाड़ जेल, पुलिस स्टेशन और आशा किरण आश्रय गृह जैसी संस्थाओं के वर्चुअल दौरे आयोजित किए गए, ताकि वे इन संस्थाओं के कार्यों को व्यावहारिक रूप से समझ सके। प्रशिक्षुओं के लिए मानव अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आधारित लघु फिल्में भी दिखाई गईं, जिससे उन्हें जमीनी स्तर पर वास्तविकताओं की व्यापक समझ मिली।

एनएचआरसी के संयुक्त सचिव श्री देवेंद्र कुमार निम, इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

विद्यार्थियों एवं संकाय का दौरा

एनएचआरसी, भारत, कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों और उनके संकाय सदस्यों को मानव अधिकारों के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण तंत्र और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए) 1993 के तहत कैसे कार्य करता है, की समझ हासिल करने हेतु उन्हें आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है।

मई माह के दौरान, दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के लॉ सेंटर-II के लगभग 64 विद्यार्थियों और एक संकाय सदस्य ने एनएचआरसी का दौरा किया। उन्हें आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधि और अन्वेषण प्रभागों के कामकाज और शिकायत प्रबंधन प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें मानव अधिकार शपथ भी दिलाई गई।

मूट कोर्ट्स

विधि के विद्यार्थियों के बीच कानूनी कौशल और मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोग मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं को प्रायोजित करता है। 24 मई, 2024 को, एनएचआरसी, भारत ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और ज्यूडिशियल एकेडमी (NLUJA), असम के संयुक्त तत्वावधान में 5वीं गुरजीत सिंह मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसका विषय था 'लैंगिक भेदभाव का सामना करके एवं समान अवसरों को बढ़ावा देकर मानव अधिकार सुनिश्चित करना'। प्रतियोगिता में भारत भर के विश्वविद्यालयों की लगभग 20 टीमों ने भाग लिया।

पुरस्कार योजना

एनएचआरसी लघु फिल्म प्रतियोगिता, 2024

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मानव अधिकारों पर लघु फिल्मों के लिए अपनी 10वीं वार्षिक प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की हैं। प्रविष्टियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2024 है। विजेता प्रविष्टियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

आयोग द्वारा 2015 में लघु फिल्म पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए भारतीय नागरिकों के सिनेमाई और रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उन्हें मान्यता देना है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। पिछले वर्षों में, आयोग को देश के विभिन्न हिस्सों से मानव अधिकारों पर आश्चर्यचकित करने वाली सैकड़ों कहानियां मिली।

लघु फिल्में अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ हो सकती हैं। लघु फिल्म की अवधि न्यूनतम 3 मिनट और अधिकतम 10 मिनट होनी चाहिए। यह एक वृत्तचित्र, वास्तविक घटनाओं का नाट्य रूपांतरण या काल्पनिक कृति हो सकती है। फिल्म एनिमेशन सहित किसी भी तकनीकी शूटिंग और फिल्म निर्माण प्रारूप में हो सकती है।

लघु फिल्मों के विषय विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों पर आधारित होने चाहिए, विशेषत: निम्नलिखित विषयों में:

- जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार;
- बंधुआ और बाल श्रम, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शामिल करना; • वृद्धजनों की चुनौतियों में अधिकार;
- दिव्यांगजनों के अधिकार;
- मैनुअल स्कैवेंजिंग, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार;
- मौलिक स्वतंत्रता के मुद्दे;
- मानव दुर्व्यापार;
- घरेलू हिंसा;
- पुलिस अत्याचारों के कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन;
- हिरासत में हिंसा और यातना;
- सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ;
- खानाबदोश और विमुक्त जनजातियों के अधिकार;
- जेल सुधार;

- शिक्षा का अधिकार;
- पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय खतरों सहित स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार;
- काम करने का अधिकार;
- कानून के समक्ष समानता का अधिकार;
- भोजन और पोषण सुरक्षा का अधिकार;
- एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकार;
- मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापन के कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन;
- भारतीय विविधता में मानव अधिकारों और मूल्यों का जश्न मनाना; और
- जीवन और जीवन स्तर में सुधार लाने वाली विकास पहल

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा भेजी जाने वाली प्रविष्टियों की संख्या पर कोई आवेदन शुल्क या प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, प्रतिभागियों को प्रत्येक फिल्म को विधिवत भरे हुए प्रविष्टि फ़ॉर्म के साथ अलग से भेजना होगा। प्रवेश फ़ॉर्म के साथ नियम और शर्तें एनएचआरसी की वेबसाइट: www.nhrc.nic.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।

फिल्म, पूरा आवेदन पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ Google Drive के माध्यम से nhrcshortfilm@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं। अन्य जानकारी भी इस ईमेल पते पर भेजी जा सकती हैं।

एनएचआरसी की हिंदी वार्षिक पत्रिका - नई दिशाएँ के लिए लेख, कविताएँ, कहानियाँ

15 मई, 2024 को आयोग की हिंदी वार्षिक पत्रिका 'मानव अधिकार: नई दिशाएँ, अंक -21' के लिए सलाहकार बोर्ड की बैठक श्री भरत लाल, महासचिव, एनएचआरसी, भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विषय-वस्तु निर्धारित करने और पाठकों के लिए इसे और अधिक रोचक बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' को पत्रिका का केंद्रीय विषय चुना गया है, जिसके साथ निम्नलिखित उप-विषय हैं जिन पर लेख, कहानियाँ और कविताएँ भेजी जा सकती हैं:

- स्वच्छ पेयजल का अधिकार;
- न्याय का अधिकार;
- पोषण का अधिकार;
- विस्थापित लोगों के अधिकार;
- दिव्यांगजनों के अधिकार;
- ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार;
- मैनुअल स्कैवेंजिंग - एक अभिशाप;
- महिला सशक्तिकरण;
- स्वास्थ्य का अधिकार: मानसिक स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ में तथा
- जल, जंगल और जमीन का क्षरण

बैठक में सलाहकार बोर्ड के सदस्य - श्री डी.के. निम, संयुक्त सचिव; लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह, निदेशक; श्रीमती अंजलि सकलानी, सहायक निदेशक (हिंदी); प्रोफेसर रामगोपाल सिंह, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद; प्रोफेसर श्रद्धा सिंह, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी; प्रोफेसर शिवप्रसाद शुक्ला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय; श्री बलराम, संपादक, समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली; श्रीमती सर्वमित्रा सुरजन, पत्रकार और लेखिका, नोएडा; और श्री राकेश बी. दुबे, पूर्व निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय उपस्थित थे।

लेख, कहानी और कविता (2,000 शब्दों तक) मंगल फ़ॉन्ट (यूनिकोड) में लिखी होनी चाहिए। प्रेषक द्वारा प्रविष्टि के साथ एक संक्षिप्त बायोडेटा और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र होना चाहिये जिसमें पुष्टि की गई हो कि यह उनकी मूल अप्रकाशित रचना है, प्रविष्टि 10 जून, 2024 तक ईमेल आईडी patrika-nhrc@gov.in पर भेजी जा सकती है। प्रविष्टियों की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएँगी और पत्रिका में प्रकाशन के लिए शॉर्टलिस्ट की जाएँगी। प्रकाशित रचनाओं के लिए मानदेय क्रमशः, लेख के लिए ₹10,000, कहानी के लिए ₹5,000 और कविता के लिए ₹3,000 होगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान से संबंधित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल होता आया है। ऐसे कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि हैं जो आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए आयोग की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों से मिलते हैं। एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य एनएचआरआई के साथ बातचीत करने और अद्यतन दुनिया में मानव अधिकारों के लिए चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों का भी दौरा करते हैं।

न्यूयॉर्क में वृद्धावस्था पर 14वां ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप

एनएचआरसी भारत की माननीय सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी और संयुक्त सचिव श्रीमती अनीता सिन्हा ने 20 से 24 मई, 2024 तक न्यूयॉर्क में आयोजित 14वें ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप ऑन एजिंग (ओईडब्ल्यूजीए) में भाग लिया। एनएचआरसी सदस्य ने भारत में वृद्धजनों तक स्वास्थ्य की पहुंच पर एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि भारत सुदृढ़ डेटा फाउंडेशन को मजबूत कर रहा है, जेरिएट्रिक केयर विशेषज्ञता में निवेश कर रहा है और वृद्धजनों के समग्र कल्याण और सम्मान के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार कर रहा है।

श्रीमती विजया भारती सयानी ने एनएचआरसी द्वारा जारी की गई परामर्शी और वृद्धजनों पर आयोग के कोर ग्रुप के काम पर भी बात की, जिसे ठोस नीतियों के कार्यान्वयन में सुधार करके वृद्धजनों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों और कार्यशालाओं के अलावा, सुविधाओं के आकलन के लिए आश्रय गृहों, वृद्धाश्रमों, अस्पतालों, जेलों और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का भी दौरा किया जाता है।

एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती अनीता सिन्हा ने ओईडब्ल्यूजीए में 'सार्वजनिक जीवन में वृद्धजनों की भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया' पर एक सत्र को संबोधित किया। विभिन्न राष्ट्रीय कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पास सार्वजनिक जीवन में वृद्धजनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा है। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी, भारत निरंतर नीति समीक्षा, सहयोग, परामर्शी जारी करने, वृद्धाश्रमों का दौरा करने और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से उनके मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

श्रीमती विजया भारती सयानी ने सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, पोलैंड और जर्मनी के एनएचआरआई के सदस्यों से भी मुलाकात की। उन्होंने मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया, मानव अधिकार के मुद्दों पर चर्चा की और सहयोगी कार्यक्रमों की संभावनाओं की जांच की। सदस्य ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों का दौरा करने के अलावा भारत के स्थायी मिशन में उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल से भी मुलाकात की।

एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी भारत में वृद्धजनों की स्वास्थ्य तक पहुंच पर वक्तव्य देती हुई

एनएचआरसी,भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी और संयुक्त सचिव श्रीमती अनीता सिन्हा प्रतिनिधियों के साथ

श्रीलंका के उच्चायुक्त का भारत दौरा

भारत और श्रीलंका के बीच साझा इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों में निहित स्थायी बंधन, सुश्री क्षेनुका सेनेविरत्ने की भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के दौरे से और मजबूत हुआ। महासचिव श्री भरत लाल के साथ हुई उनकी बैठक में मानव अधिकार मुद्दों पर विचारों का सार्थक आदान-प्रदान हुआ। श्री भरत लाल ने संवैधानिक उपायों और एनएचआरसी की सक्रिय भूमिका के माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में विचार साझा किये। उन्होंने मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष रूप से क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से विश्व स्तर पर अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के साथ सहयोग करने के लिए एनएचआरसी, भारत की तत्परता भी व्यक्त की। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' अर्थात 'सभी सुखी रहें', की भावना को आत्मसात करते हुए भारत वैश्विक दक्षिण के साथ अपनी एकजुटता की पुष्टि करता है और दुनिया को परिवार के रूप में देखता है।

यूएनएचसीआर, भारत के मिशन प्रमुख का दौरा

यूएनएचसीआर भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मिशन प्रमुख सुश्री अरेती सियानी, मिशन प्रमुख सुश्री मार्ग्रेट वेनमा, एसोसिएट प्रोटेक्शन ऑफिसर सुश्री रागिनी ट्रक्रो जुत्शी और सहायक सरकारी संपर्क अधिकारी श्री सुनोद जैकब ने 3 मई, 2024 को आयोग का दौरा किया। एनएचआरसी के अधिकारियों के साथ अपनी बैठकों के दौरान, उन्होंने पूरे इतिहास में विस्थापित लोगों को शरण और सहायता प्रदान करने के भारत के उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड पर चर्चा की। जबकि भारत आजादी से पहले और बाद में शरणार्थियों के लिए एक आश्रय स्थल रहा है, भारतीय संविधान भी सभी के लिए मानव अधिकारों और सम्मान की कल्पना करता है। इस संदर्भ में, शरणार्थियों के मानव अधिकारों की रक्षा में एनएचआरसी, भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

नीदरलैंड में महिला अधिकार एवं लैंगिक समानता पर कार्यबल के प्रमुख तथा नीदरलैंड के राजदूत का भारत दौरा

महिला अधिकार और लैंगिक समानता पर कार्यबल की प्रमुख सुश्री करेन बरबाक, भारत में राजदूत सुश्री मरीना जेराई्स, नीति अधिकारी सुश्री नीन्के ब्लेकर, द्वितीय सचिव श्री जोस्ट वैन ओस्टेनब्रुगेन और सुश्री डान डी बोअर के नेतृत्व में नीदरलैंड प्रतिनिधिमंडल ने 13 मई, 2024 को आयोग का दौरा किया। उन्होंने महिला सशक्तीकरण और एसडीजी-5 के विभिन्न पहलुओं पर एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल के साथ सार्थक चर्चा की। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने, निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और वित्तीय स्वतंत्रता और कौशल विकास प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों, एनएचआरसी और एसएचआरसी द्वारा निभाई गई भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

इटली के राजदूत का भारत दौरा

भारत में इटली के राजदूत श्री विन्सेन्ज़ो डी लुका ने 21 मई, 2024 को आयोग का दौरा किया। उन्होंने मानव अधिकारों की रक्षा में हाल की प्रगति और वैश्विक स्तर पर उभरती चुनौतियों पर भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव श्री भरत लाल के साथ बातचीत की। बैठक में भारत और इटली के प्राचीन सभ्यतागत लोकाचार और दोनों देशों के बीच संबंधों में आई तेजी पर भी चर्चा की गई।

संक्षेप में समाचार

- 1 मई, 2024 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य श्री राजीव जैन ने गनहरी एससीए बैठक में ऑनलाइन भाग लिया।

- 2 मई, 2024 को एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर विंडसर प्लेस में न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ द्वारा लिखी गई पुस्तक 'ईयरिंग फॉर राम मंदिर एंड फुलफिलमेंट' के लोकार्पण के लिए आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन गरुड़ प्रकाशन और भारत शिक्षा संस्थान द्वारा किया गया था। न्यायमूर्ति मिश्रा ने रामराज्य के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें लोग प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ मानवीय और नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए सद्भाव से रहते थे।

- 10 मई, 2024 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य श्री राजीव जैन ने बांग्लादेश के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'आपराधिक न्याय प्रशासन और मानव अधिकार' पर एक सत्र में चर्चा की शुरूआत की।

- 17 मई, 2024 को एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने हैदराबाद के कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के दूसरे स्नातक समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने सार्वजनिक नीति को न्याय, समता और आम हित के लिए महत्वपूर्ण बताया।

- 18 मई, 2024 को, श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि), एनएचआरसी ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में स्कोच समूह द्वारा आयोजित 'ईएसजी, सीएसआर, सीडीआर और एसडीजी के सामंजस्य' विषय पर केन्द्रित कार्यशाला की अध्यक्षता की।

- 18 मई, 2024 को एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर द्वारा आयोजित 'उन्नत फोरेंसिक दक्षता के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने' पर उच्च शक्ति विशेषज्ञ ग्रुप की बैठक में 'नियामक मानकों और निगरानी तंत्र' पर एक सत्र की अध्यक्षता की। अपराध ट्रैकिंग प्रणाली में फोरेंसिक साक्ष्य के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों को पीड़ितों और आरोपियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपराधों का समय पर पता लगाने के लिए वैज्ञानिक प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।

- 28 मई, 2024 को, एनएचआरसी, भारत, संयुक्त सचिव, श्रीमती अनीता सिन्हा ने एशिया प्रशांत में संघर्ष की स्थितियों में एनएचआरआई की भूमिका पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए मसौदा समिति की पहली बैठक का उद्घाटन किया।

आगामी कार्यक्रम

- **10 जून से 5 जुलाई 2024:** 10 जून से 5 जुलाई, 2024 तक, एनएचआरसी, भारत अपने परिसर में विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करेगा।

- **18 जून से 21 जून 2024:** 18 जून से 21 जून, 2024 तक, एनएचआरसी, भारत देहरादून, उराखंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ वन अधिकारियों के लिए मानव अधिकारों पर पहला आवासीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

- **7 जून से 7 जुलाई 2024:** एनएचआरसी, भारत मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 7 जून से 7 जुलाई, 2024 तक अपनी वेबसाइट और MyGov पोर्टल पर एक ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू करेगा।

- **11 जुलाई 2024:** 11 जुलाई, 2024 को, एनएचआरसी, भारत अपने परिसर में हाइब्रिड मोड में व्यापार और मानव अधिकारों पर एक कोर ग्रुप बैठक आयोजित करेगा।

मई, 2024 में शिकायत प्रबंधन

प्राप्त शिकायतें	5,851
निपटान	6,201
आयोग के विचाराधीन	5,470

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332 • **ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए:** www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: jrlawnhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित। सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल। क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC

RNI No. 61957/95